

जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्द्रिया सफ़ैल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: जविप्र/जनसर्प/2023/डी-178 दिनांक: 15.09.2023

आम सूचना

निम्न योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट https://jda.rajasthan.gov.in एवं जेन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जेन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

Table with 5 columns: क्र.सं., जेन, भू.सं., भू.नि.सं.सि./योजना का नाम, आवेदक. Contains 20 entries of land acquisition details.

सार्वजनिक नोटिस

क्रमांक: जविप्र/उपा. जेन-8/2023/डी-3047 दिनांक: 15.09.2023
जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ा एवं 160 फीट गैरी जेनल प्लान संरक्षित एवं वास्तविक भू-पट्टी में आ रही भूमि राजस्व ग्राम मुंबावाला तहसील गांधीनगर के खसरा नम्बर 165/2, 316, 320, 321, 323, 324, 338, 344, 345, 346, 348 कुल किता 41 में से 485770.83 वर्ग मी. भूमि के खातेदार बुद्ध सिंह एवं गोपाल सिंह पुत्रान श्री चन्द सिंह द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रकल्पित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जेन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सार्वजनिक नोटिस

क्रमांक: जविप्र/उपा. जेन-8/2023/डी-3054 दिनांक: 15.09.2023
जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ा एवं 160 फीट गैरी जेनल प्लान संरक्षित एवं वास्तविक भू-पट्टी में आ रही भूमि राजस्व ग्राम मुंबावाला तहसील सांगानेर जयपुर के खसरा नम्बर 937 रकबा 0.4400 हेक्टेयर में से 2118.73 वर्ग मी. के खातेदार कन्हैयालाल रामेश्वर पुत्रान नारायण एवं बजरंगलाल पुत्र सुजीलाल द्वारा जयपुर अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रकल्पित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जेन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सार्वजनिक नोटिस

क्रमांक: जविप्र/उपा./जेन-14/2022/डी-2300 दिनांक: 15.09.2023
जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट एवं 160 फीट गैरी जेनल प्लान संरक्षित एवं वास्तविक भू-पट्टी में आ रही भूमि राजस्व ग्राम मुंबावाला तहसील गांधीनगर के खसरा नम्बर 165/2, 316, 320, 321, 323, 324, 338, 344, 345, 346, 348 कुल किता 41 में से 485770.83 वर्ग मी. भूमि के खातेदार बुद्ध सिंह एवं गोपाल सिंह पुत्रान श्री चन्द सिंह द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रकल्पित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जेन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सार्वजनिक नोटिस

क्रमांक: जविप्र/उपा. जेन-8/2023/डी-3046 दिनांक: 15.09.2023
जयपुर विकास प्राधिकरण की जेनल प्लान 10 की 60 मीटर चौड़ा सड़क विस्तार से शाहीनगर से शाहीनगर रोड को मिलाते वाली 60 मीटर चौड़ा रोड से मिलने वाली हयात होटल से पार्कनाथ नारायण सिटी से होकर 200 फीट रोड तक 48 मीटर चौड़ा रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम मुंबावाला तहसील सांगानेर जयपुर के ख.नं. 180 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, ख.नं. 190 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, ख.नं. 718/187 रकबा 0.0300 हेक्टेयर किता 03 कुल रकबा 0.2100 हेक्टेयर हेतु ग्राम जेतपुरा सर्प हाजीवाला तहसील सांगानेर के ख.नं. 883/270 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, ख.नं. 897/282 रकबा 0.0800 हेक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.1100 हेक्टेयर भूमि के खातेदार श्री गणेश, महेन्द्र, दिनेश पुत्रान स्व. श्री रामलाल व श्रीमती प्रमू देवी पत्नी स्व. श्री शंकरलाल एवं श्री शंकरलाल पुत्र स्व. श्री गोकुल द्वारा जविप्र अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रकल्पित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जेन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

लोक सूचना

Table with 5 columns: क्र.सं., जेन, खसरा सं., ग्राम का नाम, खातेदार. Contains 10 entries of public notice details.



जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा साकेल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004

क्रमांक. जवि.प्रा./उपा.जनसर्व/2023/डी बी-178

दिनांक 15.09.2023

आम सूचना

निम्न योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट <https://jda.rajasthan.gov.in> एवं जॉन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जॉन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जॉन	गू.सं.	ग.नि.स.स.लि./योजना का नाम	आवेदक
1	पीआरएन (दक्षिण-II)	A 49	हसनपुरा-ए गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विनायक सरोवर, लीजडीड हेतु	आरती गोयल
2	पीआरएन (दक्षिण-I)	58ए	विजय गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना ग्रीन एवेन्यू, लीजडीड हेतु	श्री राजकुमार अप्पावल पुत्र श्री रामचन्द्र अग्रवाल
3	पीआरएन (दक्षिण-I)	96	अमृतपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना जीवन विहार, लीजडीड हेतु	श्री शिवरंजन सोनी पुत्र श्री रामचरण सोनी
4	पीआरएन (दक्षिण-II)	32	हसनपुरा-ए ग.नि.स.स.लि. की योजना महावीर नगर-ए, लीजडीड हेतु	मांगीलाल शर्मा
5	पीआरएन (दक्षिण-II)	53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 & 60	कोर्ति नगर कॉ. हा.सो.लि. की योजना श्री गोपाल नगर, लीजडीड हेतु	हनुमान सिंह चौधरी
6	पीआरएन (दक्षिण-II)	61, 62, 63, 64	कोर्ति नगर कॉ. हा.सो.लि. की योजना श्री गोपाल नगर, लीजडीड हेतु	खुशाल चौधरी
7	पीआरएन (दक्षिण-II)	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 & 35	कोर्ति नगर कॉ. हा.सो.लि. की योजना श्री गोपाल नगर, लीजडीड हेतु	पुर्णिमा खरबास
8	पीआरएन (दक्षिण-II)	46, 47, 48, 49, 50, 51, & 52	कोर्ति नगर कॉ. हा.सो.लि. की योजना श्री गोपाल नगर, लीजडीड हेतु	रश्मि खरबास
9	पीआरएन (दक्षिण-II)	19	भैरव ग.नि.स.स.लि. की योजना कृष्णा विहार-बी, लीजडीड हेतु	श्री शैलेन्द्र सक्सेना
10	पीआरएन (दक्षिण-II)	72	श्यामपुरी ग.नि.स.स.लि. की योजना श्याम नगर, लीजडीड हेतु	अमिता खत्री
11	पीआरएन (उत्तर-I)	36	नव भारत ग.नि.स.स. की योजना गोविन्द एनक्लेव, फ्री-होल्ड पट्टे हेतु	श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी श्री गोपाल लाल जाट
12	पीआरएन (उत्तर-I)	33	अमृतपुरी ग.नि.स.स. की योजना केलाश विहार, फ्री-होल्ड पट्टे हेतु	श्रीमती शोभा शर्मा पुत्री श्री के.सी. शर्मा
13	पीआरएन (उत्तर-II)	19ए	दी महावीर हाउसिंग को. सो.लि. की योजना बसन्त विहार-ए, लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु	श्री प्रताप सिंह राठौड़ पुत्र श्री डाल सिंह एवं श्रीमती किरण कंवर पत्नी श्री प्रताप सिंह
14	पीआरएन (उत्तर-II)	78	महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की योजना श्री करणी सरोवर, लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु	श्री रामलाल बागडा/भैरूराम बागडा
15	पीआरएन (उत्तर-II)	135ए	महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की योजना श्री करणी सरोवर, लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु	श्री मदन मीणा पुत्र श्री राजकुमार मीणा
16	पीआरएन (दक्षिण-II)	15 & 03	मित्र ग.नि.स.स.लि. की योजना सुमेरु नगर प्रथम, लीजडीड हेतु	जतन देवी, मोहन लाल एवं धर्म सिंह
17	पीआरएन (दक्षिण-II)	26	मीनावाला ग.नि.स.स.लि. की योजना श्रीराम कॉलोनी, लीजडीड हेतु	सरिता शर्मा
18	पीआरएन (उत्तर-II)	50	भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की योजना मां करणी नगर-बी, लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु	श्याम सिंह राठौड़ / प्रेम सिंह राठौड़
19	पीआरएन (उत्तर-I)	15-ए	विवेकानन्द ग.नि.स.स. की योजना करधनी एनक्लेव, फ्री-होल्ड पट्टे हेतु	श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री मोहरी लाल शर्मा
20	पीआरएन (उत्तर-I)	1	बुनियादी विकास ग.नि.स.स. की योजना शीला विहार-ए, फ्री होल्ड पट्टे हेतु	श्री यशवर्धन सिंह पुत्र श्री हरी सिंह मीणा

सार्वजनिक नोटिस

दिनांक 15.09.2023

क्रमांक. जवि.प्रा./उपा. जॉन-8/2023/डी-3047
जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की ट्रक टर्मिनल (विस्ट दे हाईट्स) योजना द्वितीय फेज हेतु अवाप्ताधीन राजस्व ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में खाता संख्या 112 (नया) 111 (पुराना) में खसरा नम्बर 895 रकबा 1.54 हेक्टेयर का हिस्सा 4/5 की एवज में 25 प्रतिशत (20 प्रतिशत आवासीय क्षेत्रफल 2464 एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक क्षेत्रफल 616 वर्गमी) विकसित भूमि के मूख्य अडवंट किये जाने हेतु खातेदार श्रीमती गोपाली देवी, श्याम सुन्दर, रामअवतार हिस्सा 1 / 5, श्री मोहन लाल, मंगल राम, कानगराम, छीतरमल पिता स्व० श्री नानगराम हिस्सा 1 / 5, जगदीश, लालाराम पिता घीसा हिस्सा 2 / 5 द्वारा राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत जॉन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्थगन / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जॉन-8 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवाधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

सार्वजनिक नोटिस

दिनांक 15.09.2023

क्रमांक. जवि.प्रा./उपा. जॉन-8/2023/डी-3045
जयपुर विकास प्राधिकरण की जॉनल प्लान 10 की 60 मीटर सैक्टर सड़क (जो टॉक रोड से शिकारपुरा रोड को जोड़ने वाली रेलवे लाईन के समानान्तर 200 फीट सैक्टर रोड तक) में आ रही भूमि राजस्व ग्राम बम्बाला तहसील सांगानेर जयपुर के खसरा नम्बर 937 रकबा 0.4400 हेक्टेयर में से 2118.73 वर्गमी. के खातेदार कन्हैयालाल, रामेश्वर पुत्रान नारायण एवं लक्ष्मीनारायण पुत्र सूजीलाल द्वारा जयपुर अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जॉन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जॉन-8 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवाधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

सार्वजनिक नोटिस

दिनांक 15.09.2023

क्रमांक. जवि.प्रा./उपा./जॉन-14/2022/डी-2300

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट एवं 160 फीट चौड़ी जॉनल प्लान सड़क एवं व्यावसायिक गू-पट्टी में आ रही भूमि राजस्व ग्राम गणेशपुरा तहसील माधोराजपुरा के खसरा नम्बर 156 / 2, 318, 320, 321, 323, 324, 338, 344, 345, 346, 348 कुल किता 11 में से 40570.93 वर्गमी. भूमि के खातेदार इन्द्र सिंह एवं गोपाल सिंह पुत्रान श्री चन्द्र सिंह द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जॉन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्थगन / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जॉन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवाधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

सार्वजनिक नोटिस

दिनांक 15.09.2023

क्रमांक. जवि.प्रा./उपा. जॉन-8/2023/डी-3046

जयपुर विकास प्राधिकरण की जॉनल प्लान 10 की 60 मीटर सैक्टर सड़क (विस्ट दे हाईट्स से स्वर्ण विहार से होकर डिग्री नोड को मिलाने वाली 80 मीटर सैक्टर रोड से मिलने वाली हयात होटल से पार्थनाथ नारायण सिटी से होकर 200 फीट रोड तक) 48 मीटर सैक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम सुखिया तहसील सांगानेर जयपुर के ख.नं. 180 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, ख.नं. 190 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, ख.नं. 718 / 187 रकबा 0.0300 हेक्टेयर किता 03 कुल रकबा 0.2100 हेक्टेयर एवं ग्राम जैतपुरा उर्फ हाज्यावाला तहसील सांगानेर के ख.नं. 883 / 270 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, ख.नं. 897 / 282 रकबा 0.0600 हेक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.1100 हेक्टेयर भूमि के खातेदार श्री गणेश, महेंद्र, दिनेश पुत्रान स्व० श्री रामलाल व श्रीमती प्रनु देवी पत्नी स्व० श्री शंकरलाल एवं श्री मंवरलाल पुत्र स्व० श्री गोकुल द्वारा जयपुर अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जॉन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्थगन / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जॉन-8 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवाधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

लोक सूचना

क्र. सं.	जॉन	खसरा सं.	ग्राम का नाम	खातेदार
1	08	639, 647, 903/650, 638/1,648/1	ग्राम-जैतपुरा हाज्यावाला, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर की भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु	SHRI YADUVENDRA KUMAR KALA S/O SHRI CHANDA LAL KALA
2	12	744 / 691,747 / 692, 788 / 684,786 / 676, 741 / 357,748 / 381, 825 / 378,743 / 691, 746 / 692,821 / 358, 820 / 358,822 / 358, 826 / 374,827 / 374, 816 / 375,828 / 376	ग्राम-नृसिंहपुरा, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर की भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु	मैसर्स डिफाईन्ड विज्डर्स एलएलपी जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संदीप यादव पुत्र श्री सुबेसिंह यादव व राजपाल यादव पुत्र श्री सुबेसिंह व श्रीमती विनीता कुमार पत्नी श्री अनिल कुमार जरिये मु.आम संदीप यादव पुत्र श्री सुबेसिंह यादव
3	13	383, 384, 385	ग्राम-टीकमपुरा, तहसील-जमवारामगढ जिला-जयपुर की भूमि का गैर-कृषिक (रिसोर्ट) उपयोग हेतु	गुलशन फैशन एलएलपी जरिये अधिकृत निदेशक सुखानी
4	12	205	ग्राम-नांगल बड़गुजरान उर्फ फोगडियावाला तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर की भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु	श्री राजाराम जाट पुत्र श्री रामगोपाल उर्फ गोपाल जाट एवं श्री रामकिशोर चौधरी पुत्र श्री रामगोपाल उर्फ गोपाल मु.आम. आर्यन लैण्डमार्क डवलपर्स एलएलपी जरिये अधिकृत साझेदार रामचन्द्र यादव पुत्र श्री हरसहाय यादव
5	4	258, 259 गैर खातेदार	ग्राम-झालाना चौड़, तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर की भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु	कोशल्या पुत्री नानगराम, गोपाल पुत्र नानगराम, दमोदर पुत्र नानगराम, प्रमाती देवी पुत्री नानगराम मूलक, प्रेमचन्द पुत्र नानगराम, भूरी देवी पत्नी नानगराम, मूनीदेवी पुत्री नानगराम, रामयारी पुत्री नानगराम
6	4	265, 266 गैर खातेदार	ग्राम-झालाना चौड़, तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर की भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु	गुल्ली पत्नी मोहरू नूतक के वारिस छगनी पत्नी रूपनारायण, प्रेमचन्द पुत्र रूपनारायण, सुशीला पुत्री रूपनारायण, हनुमान पुत्र रूपनारायण
7	4	266 / 387, 267 / 387 गैर खातेदार	ग्राम-झालाना चौड़, तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर की भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु	ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र, जगदीश प्रसाद पुत्र रामचन्द्र नूतक के वारिस, प्रनुनारायण पुत्र रामचन्द्र रामावतार पुत्र रामचन्द्र, शान्तिदेवी पत्नी रामचन्द्र, सुशीला पुत्री रामचन्द्र, इली चन्द पुत्र नारायण, सीताराम पुत्र दामोदर, कस्तूरी देवी पत्नी श्री मंगली पुत्री, जयनारायण पुत्र
8	4	309, 310, 311 खातेदार	ग्राम-झालाना चौड़, तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर की भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु	आत्माराम पुत्र सूरज, खेमचन्द पुत्र रामनारायण, देवी नारायण पुत्र सूरज, प्रेमचन्द पुत्र सूरज, बंजरालाल पुत्र रामनारायण, भंजराल पुत्र सूरज, रामजीलाल पुत्र रामनारायण हनुमान पुत्र सूरज

सचिव